कार्यालय उप महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, पी.आई.यू. कोटा

क्रमांक : 184 दिनांकः– 22.07.2024

उप वनसंरक्षक
बूंदी।

विषयः– Construction of NH-112 Laxmipura-Dora-Dabi-Ranaji Ka Guda SH-115. Proposal No. FP/RJ/ROAD/29812/2017.

संदर्भः– कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ.14(PWD)2018/एफसीए/प्रमुपंस/1870 दिनांक10.07.2024.

महोदय,

उपरोक्त विशयान्तर्गत पत्र के क्रम में निवेदन है कि उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव का कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा अवलोकन करने के उपरांत उक्त प्रस्ताव में ऑन लाईन ई.डी.एस. जरिए पत्र क्रमांक एफ. 14(PWD)2018/एफसीए/प्रमुपंस/1870 दिनांक10.07.2024 को लगाए गए थे, जिनकी बिन्दु वार पालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेशित है।

क्रमांक	आक्षेप	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पालना रिपोर्ट
1	यूजर एजेन्सी द्वारा गैर वन भूमि दो पेचस में उपलब्ध करायी गयी है। विभागीय वेब पोर्टल पर उपलब्ध डिजीटल सीमाओं में एक पेच (5.32 हे0) पूर्णतया एवं दूसरो पेच आंधिक रूप से वन सीमा के अंतर्गत आता है। उप वन संरक्षक इसका परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।	उक्त बिन्दु की पालना में अवगत करवाना है कि सम्तुल्य गैर वन भूमि जिला कलेक्टर बूंदी द्वारा उपवन संरक्षक कार्यालय, बूंदी की सहमती एवं प्रस्तावित गैर वन भूमि की विधिक स्थिती वन भूमि नही होने पर ही आरक्षित कि गयी है।
2	उप वनसंरक्षक, बूंदी द्वारा प्रस्तावित गैर वन भूमि की उपयुक्तता प्रमाणपत्र में गैर वन भूमि वृक्षारोपण योग्य नहीं पायी गयी है अर्थात यूजर एजेंसी को दूसरी भूमि उपलब्ध कराने हेतु निर्देषित किया जाना प्रस्तावित है। क्षैत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित गैर वन भूमि पर 100 पौधे ही लगाया जाना संभव है।	उक्त बिन्दु की पालना में अवगत करवाना है कि प्रस्तावित गैर वन भूमि वृक्षारोपण हेतू उपयुक्त है परन्तु प्रस्तावित गैर वन भूमि पर अगर प्रतिहेक्टर 1000 पौधों का वृक्षा रोपण संभव नही है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनपर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अप्रेल 2019 में जारी गाईड लाईन के दिशानिर्देशों के अनुसार शेष वृक्षों का अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करवायी जायेगी। इस आशय का प्रथक से वचनबद्धता संलग्नहै।
3	उप वनसंरक्षक, बूंदी द्वारा एक ही क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत की गयी है जबकि गैर वन भूमि दो पेचज में है। इसके अलावा दिनांक 08.07.2024 से राज्य सरकार द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की दरों मे संषोधन कर दिया गया है। तदनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैर वन भूमि एवं अवनत वन भूमि पर क्षति पूर्ती वृक्षारोपण हेतु योजना के अनुसार धनराशी जमा की जायेगी। इस आशय का वचनबद्धता संलग्न है।

भवदीय

शिशुपाल सिंह
22-7-2024

कार्यालय उप वन संरक्षक बून्दी (राज.)

उपमहाप्रबंधक (तकनीकी)
सह परियोजना निदेशक
राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण
पी.आई.यू. कोटा

वास्ते उधान अधीक्षक, सा0नि0वि0, मयुर सिनेमा के पास, नयापुरा सर्किल कोटा ईमेलः–(pdppp.kota@gmail.com)

O/C

ANNEXURE-I

Full Title of the Project: Diversion of Forest land for Laxmipura-Dora-Dabi-Ranaji Ka Guda NH-12 in the State of Rajasthan.

Proposal No.: FP/RJ/ROAD/29812/2017

Date of Proposal: 09/06/2018

Forest Land Proposed for Diversion: 32.3264 Hectare

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF PLANTATION OF DEGRADED FOREST LAND AS PER MOEF&CC GUIDELINE, APRIL -2019

Rajasthan State Highways Authority, PIU-Kota, the user agency, is hereby undertakes that, as per MoEF&CC guideline File No: F. No. 11-423/2011-FC issued in April 2019, if 1000 trees can't be planted on the proposed CA land, in this case User Agency, will pay the amount towards balance tree plantation on the degraded forest land in connection with **"Diversion of Forest land for Laxmipura-Dora-Dabi-Ranaji Ka Guda NH-12in the State of Rajasthan"**.

Place:- Kota

Date :-22.07.2024

Yours Faithfully

DGM (Tech) Cum PD
RSHA, PIU Kota